भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3251
दिनांक 08.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बांग्लादेश में रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर में तोड़फोड़

3251. **श्री अभिषेक बनर्जीः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रवींद्र कचहरीबाड़ी में हुई तोड़फोड़ पर बांग्लादेश सरकार के समक्ष औपचारिक रूप से राजनयिक विरोध दर्ज कराया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कचहरीबाड़ी की सुरक्षा के संबंध में बांग्लादेश सरकार मे आश्वासन प्राप्त हुआ है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:,

(ग) क्या तोड़फोड़ के संबंध में बांग्लादेश सरकार द्वारा कोई गिरफ्तारी की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:,

(घ) तोड़फोड़ के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या बांग्लादेश में साझा सांस्कृतिक विरासत के संयुक्त संरक्षण और संरक्षण पर भारत और बांग्लादेश के बीच कोई द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क से घ) दिनांक 12 जून 2025 को, भारत सरकार ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक घर पर हुए घृणित हमले और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह हिंसक कृत्य गुरुदेव टैगोर की स्मृति और उनके द्वारा प्रतिपादित समावेशी मूल्यों का अपमान है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से सख्त कार्रवाई करने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का आग्रह किया।

इसके बाद, बांग्लादेश सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि हमले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने रवींद्र कचहरीबाड़ी की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की भी घोषणा की है।

(ङ) 1972 के सांस्कृतिक सहयोग करार के फ्रेमवर्क के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, पुरातात्विक संरक्षण के लिए समर्थन सहित विभिन्न सांस्कृतिक विषयों के अंतर्गत सहयोग प्रदान करता है।

****